सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)

निर्णय दिनांकः 27-6-18

वाद संख्या 7/2018

1. प्रभुदयाल | पुत्रान स्व0 भागीरथ
2. हनुमान सहाय
3. सुवालाल
4. गुलाब
5. पप्पू लाल | पुत्रान स्व0 श्रीकिशन
6. संतोष
7. शंकर
8. बाबूलाल
9. कैलाश
10. नानूलाल

समस्त निवासीयान ग्राम पाना की ढाणी, रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. साधुराम पुत्र नाथूराम
2. छीतर पुत्रान स्व0 श्री नाथू उर्फ नाथ्या
3. कालू
4. शांति देवी | पुत्रियां स्व0 श्री नाथू
5. रामा देवी
6. विमला

समस्त निवासीयान ग्राम पाना की ढाणी, रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक अधिकारी आमेर, जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया है किप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रूण्डल तहसील जिला जयपुर में स्थित है जिसके गत ख0 न0 460 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा व ख0 न0 458 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा थे। जो कि प्रार्थीगण के पिता भागीरथ पुत्र चौथू व अप्रार्थीगण के पिता नाथू पुत्र रूडा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जिसके बाबत दिनांक 15.09.1984 को उक्त भूमि सहमति के आधार पर राजस्व कैम्प ग्राम रूण्डल तह0 आमेर जिला जयपुर में खाता विभाजन किया गया। उक्त खाता विभाजन के अनुसार हाल ख0 न0 861 रकबा 0.33 है0, ख0 न0 864 रकबा 0.40 है0, ख0 न0 866 रकबा 0.14 है0, ख0 न0 912 रकबा 0.19 है0 अप्रार्थीगण के पिता नाथ्या पुत्र रूडा के नाम राजस्व रिकार्ड में बदस्तुर काश्तकार अंकित किया गया तथा खसरा न0 863 रकबा 0.30 है0, ख0 न0 868 रकबा 0.19 है0, जो कि प्रार्थीगण ख0 न0 876 रकबा 0.10 है0, ख0 न0 911 रकबा 0.19 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.78 है0 भूमि का इन्द्राज प्रार्थीगण के पिता भागीरथ पुत्र चौथू के नाम दर्ज किया गया तथा ख0 न0 867 रकबा 0.3 है0, ख0 न0 872 रकबा 0.24 है0, ख0 न0 873 रकबा 0.4 है0, ख0 न0

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

875 रकबा 0.9 है0 भूमि में 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता का जरिये खाता विभाजन राजस्व कैम्प रूण्डल तह0 आमेर जिला जयपुर में शामलाती तस्दीक किया गया। वर्णित खातेदारी भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम खातेदारी में अंकित है, जो बदस्तुर चली आ रही है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत काश्तकार काश्त करते हुये आ रहे है तथा जरिये विभाजन दिनांक 15.09.1984 ख0 न0 872 रकबा 0.24 है0 भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की शामलाती भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण बदस्तुर काश्तकार काश्त करते आ रहे है लेकिन दिनांक 16.05.2018 को अप्रार्थीगण द्वारा एक राय होकर उक्त ख0 न0 पर अपने मकान बाडे का निर्माण करने के उद्धेश्य से एकत्रित होकर प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर आमदा हो गए तथा धमकी दी की उक्त खसरा न0 की भूमि प्रतिवादी सं0 1 ल0 6 के पिता के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में एक मात्र खातेदार के रूप में दर्ज है, जबकि उक्त भूमि जरिये विभाजन दिनांक 15.09.1984 के द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की शामलाती भूमि थी, जिसका इन्द्राज तकासमा में दिनांक 15.09.1984 में अंकित है। लेकिन अप्रार्थीगण के पिता द्वारा राजस्व कर्मचारियों व अप्रार्थी सं0 7 से मिलीभगत कर अपने हिस्से में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवा लिया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 16.05.2018 को वर्णित सम्पत्ति की जमाबंदी व तकासमा की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर हुई, जबकि उक्त भूमि में प्रार्थीगण का भी 1/3 हिस्सा बंटवारा दिनांक 15.09.1984 के अनुसार निहित है लेकिन उक्त हिस्से का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अंकित होने से रह गया है और केवल मात्र अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 के पिता नाथू पुत्र रूडा के नाम से अंकित हो गया है अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 द्वारा विभाजन दिनांक 15.09.2018 के आधार पर प्रार्थीगण के हक में न तो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के हिस्से का इन्द्राज नही करवाया है और ना ही नामान्तरण खुलवाया है, जिसके बाबत प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 ता 6 को कई मर्तबा मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर इन्द्राज व दुरूस्ती हेतु निवेदन किया लेकिन आज दिनांक तक अप्रार्थी 1 ता 6 द्वारा कोई स्पष्ट जवाब प्रार्थीगण को नही दिया तथा टालमटोल करते हुये आ रहे है तथा दिनांक 15.05.2018 को प्रार्थीगण द्वारा ख0 न0 872 में जबरन बेदखल कर निर्माण करने पर आमदा है जबकि ख0 न0 872 वर्तमान में कृषि भूमि है, जिसका कोई भूमि रूपान्तरण अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकार्ड व दस्तावेज में नही है तथा किसी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार नही है। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के पिता के नाम इन्द्राज है जिसे प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि अपने नाम दुरूस्त करवाने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु अप्रार्थीगण आश्वासन देकर टालते रहे तथा दिनांक 16.05.2018 को प्रार्थीगण को वाकेई कब्जाशुदा जमीन को बेदखल करने पर व प्रार्थीगण के हक हिस्से में बेजा हस्तक्षेप करने व जमीन को बालाबाला खुर्द बुर्द बेचान करने की धमकी देने पर वादकारण उत्पन्न होकर यह टी.आई प्रार्थना पत्र हाजा करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण को तत्काल जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जायेगें और प्रार्थीगण का वाद व टी.आई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मकसद ही फौत हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में धन से किया जाना संभव नही हो सकेगा। अतः प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम रूण्डल में स्थित प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि ख0 न0 872 में अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के हिस्से के अनुसार प्रार्थीगण का हिस्सा किसी अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था के नाम बेचान, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द नही करे तथा ना ही कोई निर्माण करे।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर वर्णित किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि साबिक ख0 न0 460 व 458 पूर्व में प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज होना व आपसी सहमति से विभाजन होना स्वीकार है तथा सहमति के आधार पर ही अलग–अलग खाते होने के बाद सभी पक्ष अपनी भूमि पर काबिज है। अप्रार्थीगण के नाम ख0 न0 861,

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

864, 866, 912 के साथ 872 व 876/1901 और दर्ज किये गये क्योकि उक्त भूमि भी अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि थी तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को प्रार्थीगण के नाम लगा दी गई। ख0 न0 873 में केवल चाह को ही शामलात में दर्ज किया गया था। ख0 न0 872 में आबादी भूमि हुई है। जिसमें भी अप्रार्थीगण के मकानात बने हुये है को अप्रार्थीगण के नाम लगा दी क्योकि आबादी भूमि के अलावा शेष भूमि पर भी मिन अप्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी–अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज है। खसरा न0 872 मिन अप्रार्थीगण की कब्जे व खातेदारी की भूमि है जिससे प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थीगण को ख0 न0 872 अप्रार्थीगण के नाम होने की जानकारी शुरू से ही है तथा राजस्व रिकार्ड में जो अंकन किया गया है वह सही है। वर्णित तिथि दिनांक 15.05.2018 को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कोई बातचीत भी नही हुई तथा अप्रार्थीगण ख0 न0 872 पर कोई निर्माण कार्य भी नही कर रहे है। भूमि विवादग्रस्त पर अप्रार्थीगण काबिज है इस कारण प्रार्थीगण को बेदखल करने की बात मिथ्या है। इस आधार पर प्रार्थीगण कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट नही बताया कि किस तरह का गलत इन्द्राज हुआ है और किस गलती को दुरूस्त कराना चाहता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ही अस्पष्ट होने के कारण चलने योग्य नही है तथाकथित तिथि को अप्रार्थीगण की प्रार्थीगण से कोई बातचीत ही नही हुई इस कारण प्रार्थीगण को कोई वाद हेतु उत्पन्न नही होता है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सतुंलन प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार से साबित नही है। प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की कोई अपूर्तनीय क्षति कारित नही हो रही है। प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा भूमि पर काबिज है इस कारण उनके विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गर्ज से गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो कि विशेष हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है जो कि निर्विवाद तथ्य है कि विवादित भूमि के गत ख0 न0 458 व 460 थे जो कि पक्षकारान के पूर्वजों के नाम थी तथा साथ ही यह भी निर्विवाद तथ्य है कि उक्त भूमि के सन्दर्भ में पूर्व खातेदारान के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से विधिवत राजीनामा भी तस्दीक किया गया था। अप्रार्थीगण के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि उक्त राजीनामा के संदर्भ में कोई उज्र आपत्ति किसी भी पक्षकारान द्वारा व्यक्त नही की गई है तथा उक्त प्रस्तुत राजीनामें के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजीनामें के क्रम में भूमि ख0 न0 867, 872, 873, 875 पक्षकारान की शामलाती भूमि रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि में से भूमि ख0 न0 872 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसके सन्दर्भ में अप्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है जो कि स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम किस आधार पर लगी है जो कि विवाद का मूल आधार है साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि शामलाती भूमि पर विधिक विभाजन के अभाव में तथा सहखातेदार की सहमति के अभाव में निर्माण कार्य किया जाना न्यायोचित नही है। यद्यपि अप्रार्थीगण वर्तमान में विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है प्रार्थीगण के हक अधिकार मूलवाद में निरन्तर प्रकिया के क्रम में साक्ष्यों की गुणावगुण पर तय किए जाएगे। तब तक न्यायहित में वाद बहुलता के आधार को दृष्टिगत रखते हुए प्रा0 पत्र आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मात्र निर्माण की हद तक मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम रूण्डल स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.न. 872 पर निर्माण कार्य ना करें।

निर्णय आज दिनांक को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर